निर्णय ब इजलास अन्तर सिंह नेहरा आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जयपुर (राज॰)

प्रकरण संख्या 14/2017 (रसद अपील)

रामप्रसाद खाती पुत्र श्री मूलचन्द जांगिड जाति जांगिड निवासी ग्राम ठीकरिया गुजरान, तहसील चाकसू जिला जयपुर ।

प्रार्थी /याचिका कर्ता

बनाम

1.जिला रसद अधिकारी जयपुर द्वितीय ।

2.रामकरण पुत्र श्री रामधन गुर्जर जाति गुर्जर निवासी ग्राम ठीकरिया गूजरान, तहसील चाकसू जिला जयपुर ।

प्रत्यर्थीगण/विपक्षीगण

अध्यापित याचिका बाबत आवंटन आदेश दिनांक 16.09.2011 उचित मूल्य दुकान ग्राम रलावता तहसील चाकसू जिला जयपुर सपठित माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 17.02.2017 एवं माननीय जिला रसद अधिकारी के आदेश कमांक ए (8) जि.र.अ.द्वि./एफपीएस/2016/2268 दिनांक 27.02.2017.

उपस्थित :–

1. श्री के॰डी॰ शर्मा अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से ।
2. विभागीय पैरोकार रसद अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से ।
3. श्री रामधन चौधरी अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से ।

निर्णय दिनांक 15.11.2021

1. संक्षेप में याचिका के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी/याचिकाकर्ता द्वारा यह याचिका बाबत आवंटन आदेश दिनांक 16.09.2011 उचित मूल्य दुकान ग्राम रलावता तहसील चाकसू जिला जयपुर की जिला रसद अधिकारी जयपुर द्वितीय के आदेश कमांक ए (8) जि.र.अ.द्वि./एफपीएस/2016/2268 दिनांक 27.02.2017 से व्यथित होकर माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 17.02.2017 के निर्देशानुसार पेश की गई है।
2. याचिका/प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। तहत रिकार्ड तलब किया गया है। अप्रार्थी संख्या एक की ओर से विभागीय पैरोकार रसद उपस्थित है एवं अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से श्री रामधन चौधरी अधिवक्ता उपस्थित है। तहत रिकार्ड तलब किया गया ।
3. बहस उभय पक्ष सुनी गई।
4. याचिकाकर्ता ने याचिका के तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि याचिकाकर्ता शिक्षित बेरोजगार है, जिसने ग्राम पंचायत रलावता तहसील चाकसू जिला जयपुर की उचित मूल्य दुकान के आवंटन हेतु दिनांक 08.07.2010 को वांछित दस्तावेजों सहित आवेदन पत्र जिला रसद अधिकारी जयपुर द्वितीय के यहां प्रस्तुत किया था। अप्रार्थी नम्बर 2 रामकरण गुर्जर द्वारा भी उक्त दुकान के आवंटन हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया था । यद्यपि वह आवंटन के

लिए आवेदन प्रस्तुत करने के समय उसके लिए योग्य नहीं था। उचित मूल्य दुकान के आवंटन हेतु आवंटन समिति का गठन किया गया, जिसके 6 सदस्य थे उनके नाम इस प्रकार है–(1)डॉ॰ आभा जैन आर ए एस जिला रसद अधिकारी जयपुर ग्रामीण, (2) श्री राधा किशन मीणा सरपंच (अनुपस्थित), (3) श्री विश्राम गुर्जर सदस्य, (4) श्रीमती संतोष शर्मा सदस्य, (5) श्री रामरतन सैनी सदस्य एवं (6) तहसीलदार चाकसू । समिति के सदस्यों द्वारा प्रत्येक अभ्यर्थी को दिए गए अंको की पृथक पृथक सूची तैयार की गई। तत्पश्चात जिला रसद अधिकारी द्वारा सम्मलित सूची तैयार की गई। याचिकाकर्ता/प्रार्थी को आवंटन समिति के सदस्यों द्वरा जो अंक देना बताया गया उसके अनुसार उसको 31 अंक तथा अप्रार्थी नम्बर 2 को 32 अंक देना सूची में बताया गया, लेकिन इकजाई सूची में याचिकाकर्ता के अंको का योग 30 अंक ही दर्शाया गया है। डॉ आभा जैन जिला रसद अधिकारी जयपुर ग्रामीण ने उचित मूल्य दुकान के प्राधिकार पत्र हेतु आवेदकों को साक्षात्कार में समिति के सदस्य के रूप में जो अंक दिये उनमें राम प्रसाद याचिकाकर्ता को 1 अंक देने का उल्लेख है जबकि इकजाई सूची जो बनाई गई उसमे याचिकाकर्ता को 0 (जीरो) अंक ओवर राईटिंग करके दिया गया। यदि 1 अंक और जोडा जाता तो याचिकाकर्ता का कुल अंक 31 होता। प्रत्यर्थी नम्बर 2 रामकरण को एकजाई सूची में प्राप्तांक 32 दर्शाए गए है तथा इनमें 1 अंक को 9 बनाया गया है। डॉ॰ आभा जैन ने जो साक्षात्कार के समय स्वयं की अंक देने वाली जो सूची बनाई, उसमे रामकरण के 1 अंक के स्थान पर 9 किये गये है। इस प्रकार सूची में दिये गए अंकों में स्पष्ट रूप से डॉ॰ आभा जैन जिला रसद अधिकारी द्वारा दुर्भावना से इन्टरपोलेयट एवं मैनीपुलेशन किया जा कर याचिकाकर्ता को कुल एक अंक कम इकजाई सूची मे दर्शा कर अप्रार्थी नम्बर 2 को निजी व समिति की इकजाई सूची में इनटरपोलेशन व मैनीपुलेशन किया गया । यदि यह मैनीपुलेशन नहीं होता तो अप्रार्थी नम्बर 2 के कुल अंक 24 होते व याचिकाकर्ता के कुल अंक 31 होते। डॉ॰ आभा जैन ने 8 अंक बाद में अप्रार्थी नम्बर 2 के बढाये है, यह कार्यवाही पूर्ण रूप से अवैध थी। उपरोक्त प्रकार के मैनीपुलेशन व इन्टरपोलेशन करते समय कोई हस्ताक्षर भी नही किए गए। याचिकाकर्ता ने दिनांक 07.10.2013 को अपना लिखित अभ्यावेदन उच्च अधिकारियों को प्रस्तुत किया। तत्पश्चात माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में एस बी सिविल रिट याचिका नम्बर 2340/2014 प्रस्तुत की गई । बाद सुनवाई दिनांक 4.12.2014 को माननीय न्यायमूर्ति राजस्थान उच्च न्यायालय श्री मोहम्मद रफीक साहब द्वारा जिला कलक्टर जयपुर के यहां कार्यवाही करने हेतु निर्देश दिये गये। उक्त निर्णय की अनुपालना में कलक्टर (रसद) जयपुर ने दिनांक 17.03.2015 को याचिकाकर्ता का अभ्यावेदन निरस्त करने का आदेश पारित किया। याचिकाकर्ता ने पुनः माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में एस बी सिविल रिट याचिका नम्बर 4596/2015 प्रस्तुत की। दिनांक 17.02.2017 को माननीय न्यायाधिपति श्री एम एन भण्डारी ने उक्त रिट याचिका का निस्तारण किया । याचिकाकर्ता ने माननीय उच्च न्यायालय के उक्त निर्देश के बाद जिला कलक्टर (रसद) (जिला रसद अधिकारी) जयपुर के समक्ष दिनांक 23.02.2017 को माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 17.02.2017 की पालना मे सुनवाई करने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया, जिस पर जिला रसद अधिकारी ने न्यायालय जिला कलक्टर जयपुर के समक्ष अपना प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के निर्देश दिनांक 27.02.2017 को दिये। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 17.02.2017

में कलक्टर (सप्लाई) जयपुर द्वारा उक्त प्रकरण में पुनः सुनवाई व निर्णय करने हेतु 4 माह की अवधि निर्धारित की गई। अतः उचित मूल्य की दुकान ग्राम रलावता तहसील चाकसू जिला जयपुर का आवंटन आदेश दिनांक 16.09.2011 जिसके द्वारा अप्रार्थी नम्बर 2 को दुकान आवंटित की गई है, का प्राधिकार पत्र निरस्त कर याचिकाकर्ता को उक्त दुकान आवंटित फरमावे। जो मैनीपुलेशन व इन्टरपोलेशन डॉ॰ आभा जैन आर ए एस तत्कालीन जिला रसद अधिकारी जयपुर ग्रामीण ने चयन कमेटी के सदस्य के रूप में अप्रार्थी नम्बर 2 रामकरण के प्राप्तांक 1 के स्थान पर 9 तथा इकजाई सूची में भी रामकरण के 1 के स्थान पर 9 व याचिकाकर्ता रामप्रसाद के जीरो नम्बर दिये जाने तथा रामकरण के प्राप्तांक 32 किए जाने की जांच सक्षम अधिकारिकता प्राप्त जांच ऐजेन्सी से कराई जावे, ताकि याचिकाकर्ता को न्याय मिल सके।

5. अप्रार्थी संख्या 2 के सुयोग्य अधिवक्ता ने याचिकाकर्ता के तर्को का खण्डन करते हुये दलील प्रस्तुत कि की खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग राजस्थान जयपुर के पत्रांक एफ17(1)खा.वि./विधि/08 दिनांक 27.02.2009 एवं 17.02.2009 की पालना में तहसील चाकसू की ग्राम पंचायत ठीकरिया गुजरान की नव सृजित उचित मूल्य दुकान के वितरण केन्द्र रलावता के लिये जिला कलक्टर जयपुर के द्वारा प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 09.03.2010 को जारी की गई थी। उक्त विज्ञप्ति जारी होने के पश्चात प्राप्त आवेदन पत्रों में से अन्य पिछडा वर्ग के अन्तर्गत आरक्षित वर्ग के पात्र आवेदकों के साक्षात्कार दिनांक 16.09.2021 को आवंटन सलाहकार समिति द्वारा लिये गये जिनमें दो अभ्यर्थी राम प्रसाद पुत्र श्री मूलचन्द को 31 अंक मिले एवं रामकरण पुत्र रामधन को 32 अंक मिले । उक्तानुसार रामकरण पुत्र रामधन को आवंटन सलाहकार समिति द्वारा सर्वाधिक अंक दिये जाने के पश्चात भी विभाग के आदेश कामांक 3138 दिनांक 01.03.2012 द्वारा उचित मूल्य दुकान आवंटित करने के आदेश के बाद भी दिनांक 01.06.2012 को नव सृजित उचित मूल्य दुकान हेतु विज्ञप्ति जारी की गई। अप्रार्थी रामकरण पुत्र श्री रामधन द्वारा सर्वाधिक अंक प्राप्त करने के पश्चात भी उसका प्राधिकार पत्र जारी नहीं करने पर भी रामकरण द्वारा माननीय उच्च न्यायालय पीठ जयपुर में एस बी सिविल रिट पीटीशन 10194/2012 दायर की गई। जिसके पश्चात वादी रामकरण को इस कार्यालय द्वारा दिनांक 18.10.2013 को प्राधिकार पत्र जारी करने के बाद माननीय न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 05.08.2014 को वादी द्वारा दायर रिट को निरस्त कर दिया गया। रामकरण को प्राधिकार पत्र जारी होने के पश्चात रामप्रसाद पुत्र मूलचन्द द्वारा व्यथित होकर माननीय उच्च न्यायालय में एस बी सिविल रिट पीटिशन संख्या 2340/2014 दायर की गई। जिसमें वादी द्वारा दिनांक 18.10.2013 को श्री रामकरण का उचित मूल्य दुकान आवंटन किये जाने को चुनौती दी गई तथा निवेदन किया कि दिनांक 16.09.2011 को हुए साक्षात्कार में अंकों की अंक तालिका में कांट छांट की गई है, वह उचित मूल्य दुकान की समस्त योग्यताए एवं पात्रताए रखता है, परन्तु उसे उचित मूल्य दुकान के आवंटन से वंचित रखा गया है। उक्त रिट दायर करने पर मामले में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 04.12.2014 को निर्णय पारित कर निर्देश प्रदान किये गये कि वादी रामप्रसाद जिला कलक्टर जयपुर को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर एक लिखित अभ्यावेदन मय निर्णय की प्रति प्रस्तुत करे। जिला कलक्टर को तीन माह में उक्त मामले में सुनवाई कर विधि सम्मत निर्णय पारित करने के आदेश प्रदान किये

गये। प्रकरण में दिनांक 06.01.2015 को श्री रामकरण पुत्र श्री रामधन निवासी ग्राम ठिकरिया गुजरान द्वारा अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि दिनांक 18.10.2013 को उसे सर्वाधिक अंक प्राप्त होने पर उचित मूल्य दुकान रलावता आवंटित की गई थी। अतः रामप्रसाद द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जावे। प्रकरण में श्री राम प्रसाद द्वारा दिनांक 22.01.2015 को अपना अभ्यावेदन जिला रसद अधिकारी जयपुर द्वितीय को प्रस्तुत किया । उक्त अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर प्रकरण से सम्बन्धित दोनों पक्षों श्री रामप्रसाद पुत्र श्री मूलचन्द निवासी ठिकरिया गुजरान तहसील कोटखावदा जिला जयपुर के कार्यलय के पत्र क्रमांक जि.र.अ.द्वि/विधि/विविध/2015/340 दिनांक 12.02.2015 द्वारा एवं श्री रामकरण गुर्जर पुत्र श्री रामधन गुर्जर निवासी ग्राम ठिकरिया तहसील कोटखावदा को पत्र क्रमांक जि.र.अ.द्वि./विधि/विविध/2015/339 दिनांक 12.2.2015 जारी कर दिनांक 20.02.2015 को मय साक्ष्य एवं दस्तावेजों के व्यक्तिगत सुनवाई हेतु दिनांक 20.02.2015 को जिला रसद अधिकारी जयपुर द्वितीय के समक्ष उपस्थित होने के निर्देश प्रदान किये गये । दिनांक 20.02.2015 को दोनो पक्षों की व्यतिगत सुनवाई की गई। ग्राम पंचायत ठिकरिया गुजरान की उचित मूल्य दुकान ग्राम रलावता के लिए खाद्य विभाग द्वारा गठित आवंटन सलाहकार समिति के सदस्यों द्वारा दिनांक 16.09.2011 को दोनों अभ्यर्थियों का साक्षात्कार लिया गया था, जिसमें प्रत्येक सदस्य द्वारा प्रथक प्रथक अंकतालिका में उपस्थित अभ्यर्थियों को अंक दिये गये थे, उस अंकतालिका से पृथक से समग्र अंक तालिका तैयार की गई। जिसमें दोनों पक्षों को दिये गये अंकों में कांटछांट ओवर राईटिंग की प्रविष्टि अंकित है। उक्त कांट छांट समग्र अंकतालिका में तत्कालीन जिला रसद अधिकारी जयपुर ग्रामीण द्वारा दिये गये अंकों एवं योग में की है, परन्तु प्रथक से जिला रसद अधिकारी जयपुर ग्रामीण द्वारा दिये गये अंक अंकतालिका से स्पष्ट है कि अंकों को समग्र अंकतालिका में अकित करने पर लिपिकीय त्रुटि के कारण अंक गलत लिख दिय गये जिसके कारण जिला रसद अधिकारी जयपुर ग्रामीण के अंकन व योग के कालम में ओवर राईटिंग की गई है, यह लिपिकीय त्रुटि है। दोनों पक्षों को जिला रसद अधिकारी जयपुर ग्रामीण द्वारा दिये गये अंकों का पुनः योग किये जाने पर उक्तानुसार रामप्रसाद को 31 अंक प्राप्त होते तथा रामकरण को 32 अंक प्राप्त हुये है। आवंटन सलाहकार समित के सदस्यों द्वारा दिये गये अंकों की समग्र अंकतालिका के अनुसार सर्वाधिक अंक 32 रामरण पुत्र रामधन गुर्जर को प्राप्त हुये और उसे इसी आधार पर उचित मूल्य दुकान का आवंटन सही रूप से किया गया है। रामप्रसाद पुत्र मूलचन्द खाती द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन पर कोई कार्यवाही किया जाना विधि सम्मत नही है। राम प्रसाद ने एक रिट माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में प्रस्तुत की जिसका निर्णय दिनांक 17.02.2017 को हो चुका है, जिसके तहत माननीय न्यायालय को प्रकरण की सुनवाई किये जाने हेतु निर्देशित किया । जिसके तहत माननीय न्यायालय ने अंकों को हैण्ड राईटिंग एक्सपर्ट से जांच करवाई, जिसकी जांच रिपोर्ट पत्रावली में सलग्न है। जिसके तहत भी अंकों में कोई कांट छाट की पुष्टि नही की गई है। अतः प्रार्थी का अभ्यावेदन खारिज फरमाया जावे।

6. अप्रार्थी संख्या एक के विभागीय पैरोकार रसद ने अप्रार्थी संख्या दो द्वारा की गई बहस का समर्थन करते हुये अपील खारिज करने का अनुरोध किया है।

7. उभय पक्ष की ओर से की गई बहस को गौर से सुना गया एवं उस पर मनन किया गया । पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया ।

8. प्रार्थी ने ग्राम रलावता, ग्राम पंचायत ठीकरिया गुजरान की उचित मूल्य दुकान आवंटन के लिए अभ्यर्थियों को साक्षात्कार में चयन कमेटी के सदस्यों द्वारा दिये गये अंकों की जिला रसद अधिकारी जयपुर द्वितीय द्वारा इकजाई सूची बनाने पर प्रार्थी अभ्यर्थी रामप्रसाद खाती एवं अप्रार्थी रामकरण गुर्जर को दिये गये अंकों में कांटछांट से व्यथित होकर मामला माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार परिवाद प्रस्तुत किये जाने पर उभय पक्ष को सुना गया। कांट छांट के सम्बन्ध में राज्य विधि विज्ञान प्रयोग शाला राजस्थान जयपुर से जांच कराई गई । प्रार्थी राम प्रसाद खाती को कुल 30 अंक प्राप्त हुये है । कुल दिये गये 30 अंक में किसी प्रकार की कांट छांट नही है और अप्रार्थी रामकरण को 32 अंक प्राप्त हुये है, जिनको एफ एस एल रिपोर्ट में पूर्व में 31 अंक होना बताया है। इस प्रकार यदि अप्रार्थी रामकरण के 31 नम्बर मान भी लिये जावे तो भी प्रार्थी राम प्रसाद के कुल प्राप्तांक 30 से एक अंक ज्यादा होता है। जिला रसद अधिकारी द्वारा सबसे अंधिक 32 अंक प्राप्तकर्ता रामकरण को उचित मूल्य दुकान का आवंटन किया गया है, जो सही है। जिला रसद अधिकारी द्वारा ग्राम रलावता ग्राम पंचायत ठीकरिया गुजरान के लिए अप्रार्थी रामकरण पुत्र रामधन गुर्जर को आवंटित उचित मूल्य दुकान के आदेश दिनांक 16.09.2011 में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किये जाने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। फलस्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत परिवाद खारिज किया जाता है।

9. निर्णय की प्रति मय मिसल मातहत जिला रसद अधिकारी जयपुर द्वितीय को प्रेषित हो। पत्रावली बाद तकमील फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो ।

10. निर्णय आज दिनांक 15.11.2021 को सरे इजलास सुना गया ।

15/11/21

(अन्तर सिंह नेहरा)
जिला कलक्टर
जयपुर